

समाहरणालय मधेपुरा

(जिला प्रोग्राम शाखा)

पत्रांक

प्रेषक :

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा

सेवा में:

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक/...../2013

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना के अधीन अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत कुल रूपये 2761600/- (सत्ताईस लाख ईकसठ हजार छः सौ) रूपये मात्र का उपावंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 47 दिनांक 18.05.2013 में संलग्न विवरणी के क्रमांक 6 पर इस जिले के लिए आवंटित राशि को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना के अधीन अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत कुल रूपये 2761600/- (सत्ताईस लाख ईकसठ हजार छः सौ) रूपये मात्र उपावंटित किया जाता है।

उपावंटित राशि का व्यय अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर किया जाना है।

2. इस योजना का कार्यान्वयन निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाना है।
3. उपावंटित राशि की निकासी एवं व्यय प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी योजना का कार्यान्वयन जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा। योजना का अनुश्रवण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
4. उक्त उपावंटित राशि में से एक प्रतिशत की राशि प्रशासनिक मद में व्यय किया जायेगा। प्रशासनिक मद में अंकित राशि योजना के प्रचार-प्रसार, प्रपत्र की छपाई, स्टेशनरी, उपस्कर एवं उपकरण का क्रय एवं योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों पर ही व्यय किया जायेगा।
5. राशि की निकासी मुख्य शीर्ष "2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण-लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष- 0107-" मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना"- 3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के आलावा के अंतर्गत मांग संख्या- 51 से विकलनीय है। इसका विपत्र कोड सं0- पी0 2235027890107 एवं राज्य योजना स्कीम कोड- WEL5490 है।

6. उपावंटित राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक- 17.04.1998, 2450 दिनांक- 17.04.1999, पत्रांक-41 वि0 (02) दिनांक- 30.01.2002 एवं 2938 वि0 (2) दिनांक- 08.04.2008 एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

7. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही महालेखाकार, बिहार को विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को भी उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन

६०

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 888-2 / दिनांक 27.09 / 2013

प्रतिलिपि : कोषागार, पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक, समाज कल्याण विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/09/13
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।


समाहरणालय मधेपुरा

(जिला प्रोग्राम शाखा)

वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (विशेष योजना घटक) के कार्यान्वयन हेतु प्रखण्डों को उपावंटित राशि की विवरणी:-

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	पंचायतों की संख्या	उपावंटित राशि		
			योजना हेतु उपावंटित राशि	प्रशासनिक व्यय हेतु उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	मधेपुरा	17	275000	2760	277760
2	सिंहेश्वर	13	210000	2110	212110
3	शंकरपुर	09	145000	1460	146460
4	गम्हरिया	08	130000	1310	131310
5	धैलाढ़	09	145000	1460	146460
6	कुमारखण्ड	21	340000	3400	343400
7	मुरलीगंज	17	275000	2760	277760
8	उदाकिशुनगंज	16	254000	2600	256600
9	बिहारीगंज	12	190000	1950	191950
10	ग्वालपाड़ा	12	190000	1950	191950
11	चौसा	13	210000	2110	212110
12	आलमनगर	14	225000	2270	227270
13	पुरैनी	09	145000	1460	146460
कुल योग-170			2734000	27600	2761600

कुल सत्तईस लाख एकसठ हजार छः सौ रुपये मात्र।


जिला पदधिकारी,
मधेपुरा।